

454/18



उत्तर प्रदेश



EF 202591



लीजडीड

17.12.18
(17.12.18)

लीज अवधि 20 वर्ष
वार्षिक किराया-9600/- रु
स्टाम्प-1000/-रु0

हम कि पारसनाथ पुत्र रामकृपाल व श्रीमती ललिता देवी पत्नी शुभकरन पाण्डेय

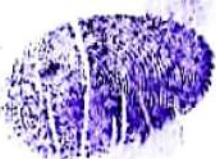
साकिनान बड़हरकला तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा पोस्ट व तहसील हरैया

साकिनान बड़हरकला

मि. ललिता देवी

इ-उजीत

नारायण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202580

जिला बस्ती व इन्द्रजीत पाण्डेय पुत्र शुभकरन पाण्डेय (शुभकरन पाण्डेय)

साकिन बड़हरकला तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा पो0 व तहसील हरैया जिला

बस्ती हाल मुकाम 1 आर0 आर0 सुकलाचाल,रूम नं0 9 गावदेवी रोड पोइसर

नन्दू किराना शाप मुम्बई महाराष्ट्र व नरसिंह पुत्र शुभकरन पाण्डेय (शुभकरन

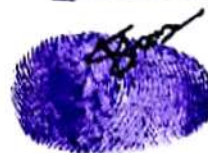
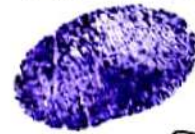
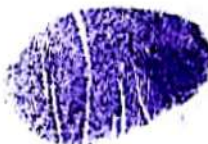
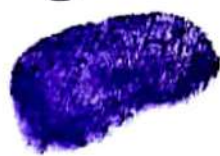
पाण्डेय) साकिन बड़हरकला तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा पो0 व तहसील हरैया

पाण्डेय

मिन्हालितोदेवी

इन्द्रजीत

नरसिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202581

जिला बस्ती हाल मुकाम आर० आर० शुक्लाचाल गावदेवी रोड रेशन शाप के पास

— पोइसर कान्दीवली ईस्ट मुम्बई महाराष्ट्र (प्रथम पक्ष) व लवकुश शर्मा पुत्र

रतीराम साकिन डुहवा मिश्र पो० संग्रामपुर तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील

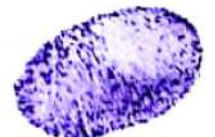
हरैया जिला बस्ती हाल मुकाम फ्लैट नं० 308 ब्लाक सी० पाकेट सी-तीसरा

फ्लोर, डी० डी० ए०, एल० आई जी० फ्लैट मोलारबन्ध दक्षिण दिल्ली व ओकार

पा. [Signature] नि. हरिलोदेवी

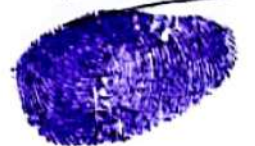
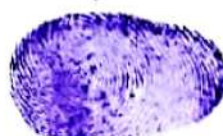
ब-308/1

नर/नर



[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202582

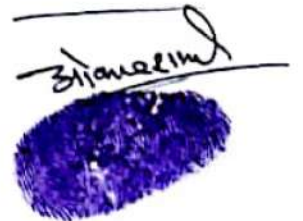
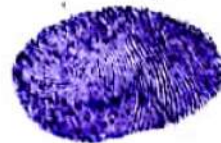
शर्मा पुत्र रतीराम साकिन डुहवा मिश्र पो0 संग्रामपुर तप्पा रामगढ़ परगना

अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती (द्वितीय पक्ष) हैं। विदित हो कि प्रथम पक्ष

निम्नलिखित सम्पत्ति के मालिक, काबिज अन्तरण सम्बन्धी समस्त अधिकार सहित

है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बाधा, बन्धक एवं विक्रय अनुबन्ध से मुक्त है।

द्वितीय पक्ष को इसकी आवश्यकता डीजल/पेट्रोल पम्प के स्थापनार्थ है और इसे 20
 नि.हरितादेवी २३०६





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202952

वर्ष के लिए लीज पर लेना चाहते हैं। प्रथम पक्ष लीज पर देने हेतु सहमत हैं।

अतएव दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होकर इस लीजडीड का निष्पादन

कर रहे हैं:-

1- यह कि लीज की अवधि 20 वर्ष होगी जो कि दिनांक-17.12.2018 से

प्रारम्भ होकर दिनांक 16.12.2038 को समाप्त होगी।

प्रारम्भ करने वाले नि.लक्ष्मीदेवी

5-3-2018

निकेत

5-3-2018

5-3-2018

5-3-2018

5-3-2018

5-3-2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202953

2- यह कि किराया 9600/रु० वार्षिक देय होगा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर

द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को निर्धारित अवधि तक किराया नियमित रूप से देते

रहेंगे ।

3- यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को लीज पर दी गई सम्पत्ति से उपरोक्त

अवधि तक बेदखल नहीं करेंगे ।

4- यह कि द्वितीय पक्ष इस सम्पत्ति में डीजल/पेट्रोल पम्प स्थापित करेंगे और

इसे डीजल/पेट्रोल पम्प के ही उपयोग में लायेंगे ।

पक्षधर पक्षधर ५ निलालिनी देवी २२/०८/१९ निलालिनी देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202955

5- यह कि द्वितीय पक्ष ऑयल कम्पनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो जाने के

बाद कम्पनी के मानक के अनुसार निर्माण करावें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

6- यह कि आर्यल कम्पनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो जाने के पश्चात इस

भूखण्ड को प्रदाता कम्पनी के पक्ष में सबलीज-डीड करने हेतु अधिकृत होंगे।

7- यह कि यदि द्वितीय पक्ष को डीजल/पेट्रोल पम्प की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं

दि 31-12-2019 तक

प्राप्त होती है तो यह लीज डीड स्वतः निरस्त माना जायेगा।

महेश चन्द्र

नि. ललिता देवी

इ. लाल

न. लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202956

उपरोक्त सभी शर्तें उभयपक्षों व इनके उत्तराधिकारियों को सदैव मान्य होंगी। अतएव अपने स्वस्थ मन व चित्त से और स्वेच्छा से यह लीजडीड लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे। विवरण सम्पत्ति जो लीज पर दी गई है स्थित ग्राम बड़हरखुर्द तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती में अकृषक भूखण्ड सं०-402 में 120 फुट चौड़ा व 210 फुट लम्बा अर्थात् 25200 वर्गफुट, जिसकी चौहद्दी

पूरब- बाग रामआनन्द आदि, पश्चिम - खेत द्वारिका आदि उत्तर- एन०एच०

प्रपञ्चमन्थन मि. ललितादेवी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202957

28, दक्षिण - चकनाली है। लीज पर दी गयी सम्पत्ति सड़क सीमा छोड़कर है। लीज

पर दी गयी सम्पत्ति अकृषिक है एवं यह भूमि आबादी के रूप में उपयोग में लायी जा

रही है उक्त सम्पत्ति ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं उ० प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम

की परिधि के बाहर है उभयपक्ष भारतीय नागरिक है अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं...

प्राप्तकर्ता निम्नलिखित हैं

5-1-2018

नरसिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 202958

हैं नोट: माल के कालम नं० ७ के दूसरे लाइन के ऊपर (दि० 31/12-2019 तक)
हस्ताक्षरित है

प्रथम पक्ष महोदय श्री. ललित देवी इन्डिया न्यासिद द्वितीय पक्ष श्री. ललित देवी
साक्षीगण

ल० कु० २१
पुन- एम. एन. मिश्र
सा- सुबा मिश्र
पे- संग्रामपुरा
दि- बरौली
फे- 9838464585



मि० अहमद अलीम खान
पुन- अहमद अलीम खान
सा- वाड नं० १ सम्राट नगर
पे- टोरा
दि- बरौली
फे- 7275656452



मसविदाकर्ता एवं टाइपकर्ता- रविप्रकाश एडवोकेट
दिनांक- 17.12.2018

रविप्रकाश

नमः २६
१००१ ता १४/१२/२०१८
श्री. १००१ ता १४/१२/२०१८
डुईवा १००१ ता १४/१२/२०१८
रजिस्ट्रार

पट्टा विलेख/कबूलियतनामा

प्रतिफल- ० स्टाम्प शुल्क- १००० बाजारी मूल्य- ० पंजीकरण शुल्क- ९६० प्रतिलिपिकरण शुल्क- ६० योग: १०२०

श्री पारसनाथ,

पुत्र श्री रामकृपाल

व्यवसाय: कृषि

निवासी: सा० बडहरकला तप्पा रामगढ पर० अमोदा त० हरैया जि० बस्ती

पुनर्प्राप्त



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक १७/०१/२०१९ एवं ०५:०२:०३ PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जितेन्द्र कुमार तिवारी

उप निबंधक : हरैया

बस्ती

१७/०१/२०१९

श्री धनश्याम तिवारी

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



कनिष्ठ महाशय (निबंधन) - निबन्धित